रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112022-239973 CG-DL-E-01112022-239973

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4866] No. 4866] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 1, 2022/कार्तिक 10, 1944 NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 1, 2022/KARTIKA 10, 1944

शिक्षा मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 नवम्बर. 2022

का.आ. 5085(अ).—केंद्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री विनीत जोशी, अपर सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के स्थान पर श्री संजय प्रसाद, अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय को तीन वर्ष की अविध के लिए अथवा उनके द्वारा अपर सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय का पद धारित किए जाने अथवा अगले आदेशों, जो भी पहले हो, तक तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का सदस्य नियुक्त करती है।

[फा. सं. 7-3/2016-यू1ए]

कामिनी चौहान रतन, संयुक्त सचिव

7263 GI/2022 (1)

MINISTRY OF EDUCATION

(Department of Higher Education)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st November, 2022

S.O. 5085(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (3) of Section 5 read with clause (c) of Sub-Section (1) of Section 6 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government hereby appoints Shri Sanjay Prasad, Additional Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance as a Member of the University Grants Commission vice Shri Vineet Joshi, Additional Secretary, Department of Higher Education, Ministry of Education with immediate effect for a term of three years or till he holds the Office of Additional Secretary, Department of Expenditure, Ministry of Finance or till further orders, whichever is earlier.

[F. No. 7-3/2016-U1A]

KAMINI CHAUHAN RATAN, Jt. Secy.